

हरिसत में प्रताड़ना तथा संबंधित नैतिक चर्चाएँ

प्रलिस के लिये:

हरिसत में प्रताड़ित करना, मानवाधिकार, हरिसत में मौत, अनुच्छेद 21, आईपीसी, सीआरपीसी

मेन्स के लिये:

हरिसत में प्रताड़ित करना तथा इसके वरिद्ध नैतिक तर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में एक 26 वर्षीय व्यक्तिकी [हरिसत में प्रताड़ना](#) के कारण मौत के लिये ज़िम्मेदार उत्तर प्रदेश के पाँच पुलिसकर्मियों की दोषसिद्धि तथा 10 साल की सज़ा (वर्ष 2019 में दी गई) को बरकरार रखा है।

हरिसत में प्रताड़ना:

परिचय:

- हरिसत में प्रताड़ित करने का मतलब है किसी ऐसे व्यक्तिको शारीरिक या मानसिक पीड़ा या कष्ट पहुँचाना जो पुलिस या अन्य अधिकारियों की हरिसत में है।
- यह मानवाधिकारों और गरमा का गंभीर उल्लंघन है तथा सामान्यतः [हरिसत में मौतें](#) तब होती हैं जब किसी व्यक्तिको हरिसत में प्रताड़ित किया जाता है।

हरिसत में मौत के प्रकार:

- **पुलिस हरिसत में मौत:** यह अत्यधिक बल प्रयोग, प्रताड़ना, चकितिसा देखभाल से इनकार या अन्य प्रकार के दुरव्यवहार के परिणामस्वरूप हो सकती है।
- **न्यायिक हरिसत में मौत:** यह भीड़भाड़, खराब स्वच्छता स्थिति, चकितिसा सुविधाओं की कमी, जेल या कैद में हिसा या आत्महत्या के कारण हो सकती है।
- **सेना या अर्द्धसैनिक बलों की हरिसत में मौत:** यह प्रताड़ना, न्यायेत्तर हत्याओं, मुठभेड़ों या गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से हो सकती है।

हरिसत में यातना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- [भारत के संविधान का अनुच्छेद 21](#) जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।
- [अनुच्छेद 20\(1\)](#) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्तिको तब तक किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त वधिका अतिक्रमण नहीं किया है।
 - [अनुच्छेद 20\(3\)](#) के अनुसार, किसी को भी अपने वरिद्ध गवाही देने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही उपयोगी नियम है क्योंकि यह अभियुक्तों के कबूलनामे, जब उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर या प्रताड़ित किया जाता है, पर रोक लगता है।
- **संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:**
 - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948 में एक प्रावधान है जो लोगों को यातना और जबरन गायब करने से बचाता है।
 - संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945 भी (स्पष्ट रूप से) कैदियों के साथ गरमापूर्ण व्यवहार करने का आह्वान करता है।
 - नेल्सन मंडेला नियमों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में कैदियों से सम्मान के साथ व्यवहार करने और यातना एवं अन्य दुरव्यवहार को प्रतबंधित करने हेतु अपनाया गया था।

हरिसत में यातना के वरिद्ध नैतिक तरक:

■ मानवाधिकारों और गरमा का उल्लंघन करना:

- प्रत्येक व्यक्तिकी अंतरनहिति गरमा होती है और उसके साथ सम्मान एवं नषिपकषता से व्यवहार कथिा जाना चाहयि। हरिसत में हसिा व्यक्तियों को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचाकर उनकी गरमा छीनकर तथा उन्हें बुनयिादी मानवाधिकारों से वंचति करके इस मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

■ कानून के शासन को नज़रअंदाज/कमज़ोर करना:

- हरिसत में हसिा कानून के शासन और उचति प्रकरयिा के सिद्धांतों को कमज़ोर करती है।
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कर्तव्य है कविे कानून को बनाए रखें और लागू करें, लेकनि हसिा में शामिल होना उन सिद्धांतों के विपरीत है जनिाका उन्हें पालन करना चाहयि- न्याय, समानता और मानवाधिकारों की सुरकषा।

■ दोषी ठहराना:

- हरिसत में यातना "दोषी साबति होने तक नरिदोष" के सिद्धांत को कमज़ोर करती है। कसिी अपराध के लयिे दोषी ठहराए जाने से पहले व्यक्तियों को यातना देना नषिपकष सुनवाई और उचति प्रकरयिा के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
- यह न्याय प्रणाली की ज़मिमेदारी है कविह अपराध या बेगुनाही का नरिधारण करे, न कथिातना के माध्यम से सज़ा दे।

■ व्यावसायिकता और सत्यनषिठा के वरिद्ध:

- पुलसि अधिकारियों और प्राधिकारियों से अपेकषा की जाती है कविे व्यावसायिकता, सत्यनषिठा एवं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान सहति उचच नैतिक मानकों का पालन करें।
- हरिसत में हसिा इन नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और पूरे व्यवसाय की प्रतिषिठा को धूमलि करती है।

■ कमज़ोर व्यक्तियों को नशिाना बनाता है:

- नैतिक रूप से इन कमज़ोर व्यक्तियों को और अधिक हानि पहुँचाने के स्थान पर उनके अधिकारों की रकषा और समर्थन करना अधिक महत्त्वपूर्ण है।

■ कानूनी और नैतिक ज़मिमेदारी से वशिवासघात:

- कानून प्रवर्तन अधिकारियों और प्राधिकारियों की उनकी हरिसत में रहने वाले लोगों के कलयाण एवं अधिकारों की रकषा करने की कानूनी तथा नैतिक ज़मिमेदारी है। हसिा या दुरव्यवहार में संलग्न होना उनकी ज़मिमेदारी के साथ वशिवासघात और उनकी भूमिकाओं में नहिति नैतिक दायित्वों के उल्लंघन को दर्शाता है।

आगे की राह

- कानूनी प्रणालियों को मज़बूत करने में व्यापक रूप से कानून बनाना शामिल है जो स्पष्ट रूप से हरिसत में यातना को अपराध घोषति करता है तथा त्वरति और नषिपकष जाँच सुनिश्चति करता है, ये उपाय हरिसत में यातना से निपटने के लयिे उठाए जा सकते हैं।
- पुलसि सुधारों को ऐसे प्रशकषण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि जो व्यावसायिकता बनाए रखने के साथ सहानुभूति पैदा करने के अतरिकित मानवाधिकारों की सुरकषा पर बल देते हैं।
- ऐसे मामलों की प्रभावी ढंग से नगरिानी और समाधान करने के लयिे नरीकषण तंत्र स्थापति कथिा जाना चाहयि।
- नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों को पीडितों की वकालत करनी चाहयि तथा साथ ही त्वरति कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहयि, इसके नवारण और न्याय के लयिे अंतरराष्ट्रीय नकियायों के साथ सहयोग भी प्राप्त करना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. न्यायकि हरिसत का अर्थ है कविअभयुक्त संबंधति मजसि्ट्रेट की हरिसत में है और ऐसे आरोपी को पुलसि स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कवि जेल में।
2. न्यायकि हरिसत के दौरान मामले के प्रभारी पुलसि अधिकारी न्यायालय की मंजूरी के बिना संदगिध व्यक्तसे पूछताछ नहीं कर सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- न्यायिक हिरासत में एक अभ्युक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है और जेल में बंद होता है। जबकि पुलिस हिरासत के मामले में एक अभ्युक्त को पुलिस स्टेशन में बंद कर करके रखा जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी संदिग्ध से पूछताछ कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के साथ। पुलिस हिरासत के मामले में पुलिस अधिकारी संदिग्ध से पूछताछ कर सकता है लेकिन उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करना अनिवार्य है। **अतः कथन 2 सही है।**
- **अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।**

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/custodial-torture-and-ethical-concerns>

